जस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 19, 2003/चैत्र 29, 1925
No. 60] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 19, 2003/CHAITRA 29, 1925

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 9 अप्रैल, 2003

सं. टीएएमपी/92/2002-वी.पी.टी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, विशाखापट्नम के आयातकों तथा निर्यातकों के लिए परिमाण छूट योजना शुरू करने संबंधी विशाखापट्नम पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव को एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार अनुमोदित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/92/2002-वी.पी.टी.

विशाखापट्नम पत्तन न्यास .... आवेदक

आदेश

(17 मार्च, 2003 को पारित)

यह मामला विशाखापट्नम के आयातकों तथा निर्यातकों के लिए परिमाण छूट योजना शुरू करने संबंधी विशाखापट्नम पत्तन न्यास (वी.पी.टी.) से प्राप्त प्रस्ताव में निम्नलिखित बातें रखी हैं :—

2. वी.पी.टी. ने अपने प्रस्ताव के समर्थन में निम्नलिखित बातें रखी हैं :—

(i) आयातक/निर्यातक द्वारा पिछले वर्ष हैंडल किए गए यातायात को परिमाण छूट योजना के लिए आधार माना जाएगा।

(ii) प्रस्तावित परिमाण छूट योजना उसी आयातक/निर्यातक के लिए लागू होगी जिसने पिछले वर्ष के दौरान 50,000 टन कारगो हैंडल किया हो।

(iii) संबंधित आयातक/निर्यातक के पिछले वर्ष के थ्रूपुट से चालू वर्ष में 110% से ऊपर होने पर प्रस्तावित परिमाण छूट योजना लागू होगी।

(iv) वी.पी.टी. ने निम्नलिखित परिमाण छूट योजना का अनुमोदन प्राप्त किया है :—

विवरण	प्रस्तावित परिमाण छूट
पिछले वर्ष के थ्रूपुट से 110%	कोई छूट नहीं
110% से 120% तक	पिछले वर्ष से 110% अधिक मात्रा से अधिक होने पर घाट शुल्क में 10% की छूट।
120% से 130% तक	पिछले वर्ष से 120% मात्रा से अधिक होने पर घाट शुल्क में 15% की छूट।
130% तथा अधिक	पिछले वर्ष से 130% मात्रा से अधिक होने पर घाट शुल्क में 20% की छूट।

3.1 प्रस्ताव की एक प्रति टिप्पणियों के लिए विभिन्न संबंधित प्रयोक्ताओं/पत्तन प्रयोक्ताओं के प्रतिनिधि निकायों को भेजी गई थी। विभिन्न प्रयोक्ताओं/पत्तन प्रयोक्ताओं के प्रतिनिधि निकायों से प्राप्त टिप्पणियों को प्रतिपुष्टि सूचना के रूप में वि.पी.टी. को भेज दिया गया था।

3.2. इस मामले के संबंध में एक संयुक्त सुनवाई वी.पी.टी. परिसर में 21 जनवरी, 2003 को आयोजित की गई। संयुक्त सुनवाई के वी.पी.टी. तथा पत्तन प्रयोक्ताओं ने अपने निवेदन प्रस्तुत किए।

3.3. जैसा कि संयुक्त सुनवाई में निर्णय लिया गया है कि वी.पी.टी. ने बाद में अपने प्रस्ताव में वित्तीय कठिनाई को दिखाते हुए एक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। वी.पी.टी. ने पात्रता मानदण्ड भी संशोधित कर दिए हैं। वी.पी.टी. ने अपने संशोधित प्रस्ताव में निम्नलिखित बिन्दु रखे हैं :—

(i) प्रस्तावित परिणाम छूट योजना तभा लागू होगी जब किसी आयातक/निर्यातक ने पिछले वर्ष के दौरान 50,000 टन शुष्क कारगो तथा 10,000 टन द्रव कारगो का प्रहस्तन किया हो।

(ii) पिछले दो वर्षों के दौरान किसी आयातक/निर्यातक द्वारा प्राप्त कारगो-वार औसत थ्रूपुट को बेंचमार्क माना जाएगा। यदि किसी आयातक/निर्यातक ने केवल वर्ष 2002-03 में कारगो का प्रदृस्तन किया है तो वर्ष 2002-03 के दौरान प्रदृस्तन किए गए थ्रूपुट को परिणाम छूट योजना हेतु बेंचमार्क माना जाएगा।

(iii) इस प्रकार प्राप्त बेंचमार्क 2 वर्ष के लिए स्थिर रहेगा तथा कम से कम 2 वर्ष के औसत को ध्यान में रखकर ही संशोधित किया जाएगा।

(iv) वर्ष 2003-04 में आए नए आयातक/निर्यातक परिणाम छूट योजना के लिए वर्ष 2005-06 में पात्र होंगे।

(v) योजना 1 अप्रैल, 2003 से लागू होगी तथा वर्ष अर्थात् 2001-02 और 2002-03 का औसत निष्पादन बेंचमार्क होगा।

(vi) प्रस्तावित परिमाण छूट प्रस्ताव के अनुसार ही बनी हुई हैं।

3.4. वी.पी.टी. ने उल्लेख किया है कि छूट केवल घाट शुल्क तत्व पर लौह अयस्क के लिए रु. 26.20 प्रति मैट्रिक टन दी जाएगी तथा टिपलिंग तथा दुलाई प्रभारों पर कोई छूट नहीं होगी।

3.5. प्रत्येक आयातक, निर्यातक को प्राप्त होने वाले लाभ को वी.पी.टी. ने तैयार किया है जो पिछले दो वर्ष अर्थात् 2000-01 तथा 2001-02 के दौरान आयातक, निर्यातक के औसत निष्पादन पर आधारित है। यदि प्रस्तावित परिमाण छूट योजना लागू हो गई होती तो वर्ष 2002-03 में वित्तीय विवक्षा रु. 1.38 करोड़ होती।

3.6 इस मामले में विचार-विमर्श संबंधी कार्यवाहियाँ इस प्राधिकरण के कार्यालय रिकार्ड में उपलब्ध हैं। प्राप्त टिप्पणियों तथा संबंधित पार्टियों द्वारा किए गए तर्कों को संबंधित पार्टियों के पास अलग से भेजे जाएंगे। ये ब्यौरे हमरी वेबसाईट (www.tamp.nic.in) पर भी उपलब्ध होंगे।

5. इस मामले की प्रक्रिया के दौरान एकत्रित समग्र सूचना के संबंध में निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती है :—

(i) वर्तमान उपयोक्ताओं के परिणाम को वी.पी.टी. के माध्यम से सुधार के लिए कम से कम शुरू में तो वी.पी.टी. के प्रस्ताव पर प्रशुल्क प्रोत्साहन योजना, जिसका लक्ष्य उक्त उपयोक्ता थे, से अधिक विचार किया जाए।

(ii) उपयोक्ताओं द्वारा दिए गए सुझाओं में से कुछ सुझाओं को समायोजित करने के लिए वी.पी.टी. ने बाद में अपनी योजना को आशोधित किया है। यह स्पष्ट किया गया है कि छूट आयातक/निर्यातक आधार पर अनुमत होगी बशर्ते कि वह निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करता हो। निर्धारित सीमा को पिछले दो वर्ष का थ्रूपुट लेकर थोड़ा उदार बनाया गया है। वी.पी.टी. ने भी 10,000 टन का अलग आधार नियत करके लिक्विड बल्क कारगो उपयोक्ताओं की मांग मान ली है।

(iii) प्रस्ताव से उपयोक्ताओं को उनके द्वारा लाए गए अतिरिक्त थ्रूपुट पर कुछ राहत मिलती है। स्पष्टता वी.पी.टी. के प्रस्ताव को किसी तिमाही (क्वार्टर) से कोई गंभीर आपत्ति नहीं हो सकती है। फिर भी पात्रता सीमा, निर्धारित सीमा तथा छूट सीमा पर बहुत सुझाव हैं। इस बात को माना जाए कि वी.पी.टी. का प्रयास प्रयोगात्मक है और योजना की प्रभावोत्पादकता केवल बाद में ही आंकी जा सकती है। प्राप्त अनुभव के आधार पर योजना बाद में अनुकूल हो सकती है। योजना के विभिन्न मानकों के लिए उपलब्ध मजबूत वैज्ञानिक आधार के अभाव में यह तर्कसंगत है कि प्रस्तावित योजना को बिना किसी आशोधन के प्रायोगिक आधार पर परिचालित किया जा सकता है। तथापि वी.पी.टी. वित्त वर्ष 2003-04 के अंत में योजना की समीक्षा कर सकता है और आवश्यक होने पर योजना में आशोधनों के लिए प्रस्ताव रख सकता है।

(iv) वी.पी.टी. ने वर्ष 2002-03 में परिमाप छूट के कारण रु. 1.38 करोड़ की नोशनल वित्तीय विवक्षा दर्शायी है। वर्ष 2003-04 में वर्तमान वृद्धि प्रवृत्ति चालू रहने पर 2003-04 में समान वित्तीय विवक्षा हो सकती है। असल में इसे पत्तन का राजस्व घाटा नहीं कहा जा सकता क्योंकि छूट केवल अतिरिक्त थ्रूपुट पर ही होगी। इसके अलावा यदि कारगो का अतिरिक्त थ्रूपुट प्राप्त होता है तो अन्य संबंधित गतिविधियों से उत्पन्न राजस्व जो काफी हद तक घाट शुल्क में छूट दिए जाने के कारण राजस्व में कटौती को ऑफ-सेट कर सकता है।

(v) जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है कि यह प्रस्ताव मूल रूप से वर्तमान प्रयोक्ताओं के लिए लाभदायी है। भविष्य में पत्तन के यातायात को बढ़ाने के लिए यह नए कारगो को आकर्षित करने में बेहतर अभिगम हो सकता है। जैसा कि आई.एन.एस.ए. ने उल्लेख किया है कि वी.पी.टी. के लिए यही उचित होगा कि वह नए कारगो यातायात को प्रेरित करने हेतु प्रशुल्क उपाय करे। वी.पी.टी. को सलाह दी जाती है कि वह वर्ष 2003-04 के अंत में प्रस्तावित योजना की समीक्षा करते समय इस बात पर विचार करे।

5. परिणाम स्वरूप तथा समग्र विचार विमर्श के पश्चात् यह प्राधिकरण वी.पी.टी. पर 1 अप्रैल, 2003 से निम्नलिखित परिमाण छूट योजना को अनुमोदित करता है :—

(क) पात्रता मानदण्ड

(i) वह आयातक/निर्यातक, जिसने पिछले वित्त वर्ष में न्यूनतम शुष्क कारगो 50,000 टन तथा द्रव कारगो 10,000 टन का प्रहस्तन किया हो, परिमाण छूट योजना का पात्र होगा।

(ii) आयातक/निर्यातक का पिछले दो वर्ष का कारगो वार औसत थ्रूपुट बेंच मार्क होगा। जिन आयातकों/निर्यातकों ने केवल वर्ष 2002-03 में कारगो हैंडल किया है उनके लिए वर्ष 2002-03 में प्राप्त थ्रूपुट बेंच मार्क होगा।

(iii) वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 का औसत थ्रूपुट वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 का बेंच मार्क बनेगा। तत्पश्चात् पिछले दो वर्ष के औसत को ध्यान में रखकर बेंच मार्क संशोधित किया जाएगा।

(iv) घाट शुल्क में छूट निम्नानुसार अनुमत होगी :—

क्रम. सं.	थ्रूपुट विस्तार	घाट शुल्क पर छूट
(क)	संपूर्ण तथा बेंच मार्क का 110% शामिल करते हुए	शून्य
(ख)	110% से ऊपर तथा बेंच मार्क के 120% तक	10%
(ग)	120% से ऊपर तथा बेंच मार्क के 130% तक	15%
(घ)	बेंच मार्क के 130% ऊपर	20%

नोट : लौह अयस्क के संबंध में छूट केवल घाट शुल्क तत्व पर रुपए 26.20 प्रति मैट्रिक टन अनुमत होगी।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[सं. विज्ञापन/III/IV/143/2003/असा.]